<u>प्र.सं. 1/22 नारू बनाम प्रकाश व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के हक एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 4529 से 4532, 4562, 4935, 5089, 5094 से 5097, 5099, 5101 से 5103, 5105 से 5107, 5111, 5119 से 5122, 5164 से 5171 कुल किता 31 रकबा 3.8900 हैक्टर भूमि मौजा गुजरों का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा में स्थित है। मूल पुरूष रोड़ा जी के दो पुत्र मियाराम व उदयलाल हुए, जिसमें से उदयलाल चुन्नीलाल पिता नाथू के गोद गये तथा चुन्नीलाल के फोत होने पर उनकी भूमियां उदयलाल के नाम के नाम दर्ज हुई। उदयलाल फोत हो जाने से उनके वारिस विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम भूमि दर्ज हुई। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी के दादा रोड़ा के नाम दर्ज होने से नामान्तरकरण केवल प्रार्थी के पिता मियाराम के नाम स्वीकृत होना चाहिए था, क्योंकि उदयलाल चुन्नीलाल के गोद चला गया था, किन्तु नामान्तरकरण उदयलाल के नाम स्वीकृत हो जाने से उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हो गयी, जो गलत है। इसलिए प्रश्नगत भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 का जो 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया है, उसे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 से 5 व विपक्षी संख्या 6 जो प्रार्थी का सगा भाई है उक्त भूमियों को बेचान करने एवं खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.12.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, किन्तु दिनांक 20.11.2021 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित करते हुए उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रतनसिंह खरवड़ उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय से [illegible] तलब किया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:10:29 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा प्रकरण लोक अदालत में रखकर विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट की प्रार्थना पर बिना प्रार्थी/अपीलान्ट को सुने पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.11.2021 अपास्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारों के हक अधिकारों बाबत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर बिना कोई विवेचन किये पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहना मानकर प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 93/2020 निर्णय दिनांक 20.11.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:10:29 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:10:29 IST
Reason: SelfAttested